केन्द्रीय बजट 2012–13 के लिये **मांगें**

पीपल्स बजट इनिशियेटिव

रूपांकनः कोजेन्ट रीच, 27 डी, शेख सराय फेस–I, नई दिल्ली
मुद्रणः भव्य ऑफसेट, 252 ए, शाहपुर जाट, नई दिल्ली

यह प्रलेख निजी प्रसार के लिये है और यह मूल्य प्रकाशन नहीं है।

सर्वाधिकार सुरक्षित @ 2012 सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउंटेबिलिटी

शैक्षणिक या अन्य गैर–व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के इस प्रकाशन की प्रतिकृति बनाने की अनुमति है, बशर्ते इसके स्रोत का आभार प्रकट किया गया हो।

प्रस्तावना

पीपल्स बजट इनिशियेटिव (पीबीआई) सामाजिक संस्थाओं का एक संगठन है, जो भारत में सरकारी बजट की प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रिया में नागरिक आंदोलनों, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों के समावेश की मांग करता है। वर्ष 2006 से पीबीआई "केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन कर रहा है, जिसमें देशभर के सामाजिक संगठन आगामी केन्द्रीय बजट से सम्बंधित अपनी अपेक्षाओं को स्वर देते हैं। केन्द्रीय बजट 2012-13 हेतु बजट संबंधी चर्चा को अधिक समावेशी बनाने और ज़मीनी स्तर के मुद्दों को संजोने के लिये पीबीआई ने पाँच "क्षेत्रीय सम्मेलनों" का आयोजन किया। यह आयोजन वर्ष 2011 में 26 नवंबर को हैदराबाद (दक्षिण भारत) और पुणे (पश्चिम भारत) में, 29 नवंबर को गुवाहाटी (उत्तर–पूर्वी भारत) और राँची (पूर्वी भारत) में और 30 नवंबर को लखनऊ (उत्तर और मध्य भारत) में हुए। इन पाँच क्षेत्रीय सम्मेलनों के बाद पीबीआई ने 7 एवं 8 दिसंबर, 2011 को नई दिल्ली में केन्द्रीय बजट 2012-13 के संदर्भ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया।

इस समूची प्रक्रिया में 25 राज्यों से लगभग 300 सामाजिक संगठनों, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के अग्रणी कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों, शिक्षाविदों, मीडिया, सांसदों और विधायकों ने भाग लिया। इन लोगों ने केन्द्रीय बजट 2012-13 के संदर्भ में ऐसे कई मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा की जो समाज के वंचित वर्गों से सम्बंधित हैं और इस प्रकार **केन्द्रीय बजट 2012-13 के लिये मांगों की यह सूची** तैयार हुई। यह सूची बजट और नीति से संबद्ध वह महत्वपूर्ण मुद्दे और अनुशंसाएं प्रस्तुत करती है, जो परस्पर संवाद की इस प्रक्रिया से उभरकर सामने आए।

पीपल्स बजट इनिशियेटिव

8 दिसंबर 2011

विषय–सूची

प्रमुख क्षेत्रों के लिये बजट

शिक्षा 3

स्वास्थ्य 5

जल एवं स्वच्छता 6

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान 7

कृषि 8

खाद्य सुरक्षा 9

जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित नीतियाँ 10

समाज के वंचित वर्गों के लिये बजट

बच्चे 11

महिलाएं 12

अनुसूचित जातियाँ 13

अनुसूचित जनजातियाँ 14

धार्मिक अल्पसंख्यक 15

विकलांग व्यक्ति 16

असंगठित मजदूर 17

संसाधन संग्रहण

कर- राजस्व 18

केन्द्रीय बजट 2012-13 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सहभागियों के नाम 19

केन्द्रीय बजट 2012-13 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले सहभागियों के नाम 21

- वर्तमान में सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला कुल व्यय (केन्द्र और राज्यों को मिलाकर) जीडीपी (वर्ष 2009-10) का लगभग 3.7 प्रतिशत है, जो कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 6 प्रतिशत वाले मापदण्ड से कम है, जिसकी अनुशंसा 40 वर्ष पूर्व की गई थी। अतएव केन्द्र सरकार के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा पर व्यय होने वाले देश के कुल बजट को बढ़ाया जाये और इसकी शुरूआत वर्ष 2012-13 के बजट से की जाये।
- प्रारंभिक स्तर पर यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई), 2009 अधिनियम को लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय आपूर्ति हो। वर्तमान कमी को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार को वित्तीय आवंटन में वृद्धि करनी होगी। आरटीई अधिनियम का ठोस लागूकरण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि देश में ऐसे कई विद्यालय हैं, जिनमें केवल एक शिक्षक है और विद्यार्थी–शिक्षक के मानक अनुपात (30:1) का अभाव है।
- इस संदर्भ में, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिये सरकार को सर्व शिक्षा अभियान में होने वाला व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रारंभिक बाल शिक्षा (3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये) को आरटीई अधिनियम के अंतर्गत लाना चाहिये और इसके लिये पर्याप्त संसाधन मुहैया कराये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तहसील/नगरपालिका में नवोदय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- आरटीई नियमों की अधिसूचना अब भी कई राज्यों में लंबित है; और इसके लिये आवश्यक वित्तीय ज्ञापन प्रदान नहीं किया गया है।
- नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, आश्रम विद्यालय और मदरसों जैसे मौजूदा संस्थानों के बीच समरसता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यह वे संस्थान हैं जिन्हें आरटीई के अधीन करना आवश्यक है। एक अन्य पहलू है कि इन कार्यक्रमों का समयानुसार कार्यान्वयन हो, जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये वृत्ति और छात्रवृत्ति का वितरण।
- प्रारंभिक शिक्षा में, शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन के लिये पर्याप्त व्यय अनिवार्य है। विशेषकर, गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना भी आवश्यक है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक अन्य पहलू है स्थानीय पारिस्थितिकी और आधारभूत संरचना निर्माण के मध्य संतुलन स्थापित करना, क्योंकि इसकी आवश्यकता देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव की गई है। विद्यालयों को इको–टॉयलेट बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये, ताकि स्थानीय पर्यावरण को हानि पहुँचाये बिना आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- गुणवत्ता से सम्बंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, विद्यालयीन मामलों में विद्यालय विकास प्रबंधन समितियों (एसडीएमसी) के माध्यम से अधिकाधिक सामुदायिक संलग्नता हेतु राज्यों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति के लिये अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

- समाज के वंचित वर्गों के लिये सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिये निर्धारित वर्तमान बजट प्रावधान क्रमशः 1469 रू. और 709 रू. प्रति बच्चा को केन्द्रीय बजट 2013-13 में कम से कम 3000 रू. प्रति अनु. जाति/जनजाति बच्चा किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से, प्रत्येक बालिका के लिये मौजूदा 1265 रू. प्रति बालिका के बजट प्रावधान को केन्द्रीय बजट 2012-13 में बढ़ाकर कम से कम 3000 रू. प्रति बालिका किया जाना चाहिये। मुस्लिम/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- बजट में विकलांगों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, विकलांगता केवल शारीरिक (जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान के भाग 'विकलांगों के लिये एकीकृत शिक्षा' में दिया गया है) रूप में सीमित नहीं है, बल्कि दृष्टि, श्रवण और मानसिक स्वास्थ्य, आदि से संबद्ध विकलांगता भी इसकी श्रेणी में है।
- माध्यमिक स्तर पर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिये सेवा आपूर्ति में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के सरकारी प्रस्ताव की समीक्षा करना आवश्यक है।
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं की इकाई लागतों को पंक्तिबद्ध करना भी एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है, ताकि उन्हें एक समरूप और सशक्त ढांचा बनाया जा सके (जैसे कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों की इकाई लागत और मानक अलग–अलग हैं)।
- शिक्षा से सम्बंधित सरकारी योजनाओं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, आरएमएसए, आदि के लागूकरण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि आवंटित निधि का उपयोग प्रभावशाली एवं पूर्णरूपेण हो। इस संदर्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन संबंधी कमियों, जैसे बजट प्रक्रिया के अवरोधों और ज़मीनी स्तर की आवश्यकताओं को जानने की प्रक्रिया की त्रुटियों को दूर करने के लिये उचित पहल किये जाने की आवश्यकता है। इसकी शुरूआत योजनाओं के मौजूदा मानकों और दिशा–निर्देशों के पुनरावलोकन से होगी, ताकि उन्हें अधिक प्रभावशाली एवं लोचशील बनाया जा सके।
- शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक सुधार लाने की आवश्यकता को संबोधित करने वाली ठोस संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये शीघ्रताशीघ्र एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिये।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर और इसके सभी अंगों (जैसे शिक्षकों, प्रबंधन समितियों और योजना प्रबंधन तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों) की क्षमता में कमी के कारण कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी लागूकरण सीमित है। अतः बजट में इनके क्षमता निर्माण पर केन्द्रित आर्थिक सहायता को संलग्न करने की आवश्यकता है।
- अन्य देशों से प्राप्त प्रमाण स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि सशक्त और ओजस्वी नागरिकता के लिये शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व है और इसे व्यावसायिक शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और वाउचर जैसे माध्यमों के जरिये निजी क्षेत्र का बढ़ता प्रचलन समीक्षा के योग्य है।

- सभी को स्वास्थ्य सेवा से लाभान्वित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सुनिश्चित करने वाले एक प्रभावशाली विधेयक की अत्यावश्यक मांग है। स्वास्थ्य के लिये सार्वजनिक व्यय को जीडीपी का 3 प्रतिशत करने की अनुशंसा एक लंबी अवधि से उपेक्षित है।
- स्वास्थ्य के लिये सार्वजनिक व्यय को जीडीपी का 3 प्रतिशत करना भौतिक और मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने में सहायक होगा। नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ सभी स्वास्थ्य संस्थानों को भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार उन्नत करना भी आवश्यक है।
- प्रारंभिक स्तर पर जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा अन्य रोगों से संबंधित निशुल्क जाँच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये अधिक वित्तीय सहायता की अनुशंसा की जाती है।
- प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत अग्रणी सेवा प्रदाताओं की भूमिका ने सरकार का ध्यान खींचा है (इसका प्रमाण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में वृद्धि है), लेकिन सरकार द्वारा संविदा और स्वैच्छिक कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। अतएव, ऑक्जीलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) और एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स (आशा) जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का नियमन सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय आवंटन में वृद्धि करना आवश्यक है।
- सभी के लिये दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक दवाओं की अधिप्राप्ति के लिये बजट में अलग से आवंटन किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य संबंधी सभी आकस्मिक स्थितियों के लिये निशुल्क परामर्श सेवाओं हेतु भी पर्याप्त बजट होना चाहिये।
- भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिये सेवा आपूर्ति की सामुदायिक निगरानी के एक माध्यम के तौर पर सामाजिक लेखा–परीक्षण आवश्यक है। इसलिये बजट में सामाजिक लेखा–परीक्षण का प्रावधान होना चाहिये।
- चूंकि स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका चिंता का विषय है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिये मौजूदा निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और अस्पतालों की निगरानी और नियमन हेतु विशिष्ट आवंटन किया जाना चाहिये। इससे सम्बंधित एक मांग यह है कि निजी सेवा प्रदाताओं के अधीन स्वास्थ्य बीमा की विद्यमान प्रणाली की जाँच की जानी चाहिये और इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।
- शहरों में बढ़ती निर्धन आबादी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि योजना (और संबद्ध बजट) शहरों की वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास और सशक्तिकरण पर केन्द्रित होनी चाहिये।
- देश में सिलिकोसिस जैसे उपजीविकाजन्य रोगों की प्रबलता के बावजूद सरकार ने श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य पर नाममात्र का ध्यान दिया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थानों के सशक्तिकरण, चिकित्सकों के प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बजट में संसाधनों का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के लागूकरण हेतु उत्तरदायी संस्थानों के सशक्तिकरण के लिये बजट के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये। इस समस्या को संबोधित करने में श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति और प्रतिफल से संबद्ध मौजूदा दिशा–निर्देशों का अधिक प्रभावी लागूकरण, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, बहुत कारगर सिद्ध होगा।

जल एवं स्वच्छता

- जल आपूर्ति और स्वच्छता को अब एक अधिकार समझने का समय आ गया है। जल एवं स्वच्छता पर सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिये कोई विश्वसनीय मापदण्ड नहीं हैं, लेकिन वर्ष 2010-11 में जीडीपी का 0.42 प्रतिशत व्यय अपर्याप्त है। इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि यह आंकड़ा भी घटता जा रहा है; वर्ष 2008-09 में जीडीपी के 0.59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 में जीडीपी का 0.54 प्रतिशत और वर्ष 2010-11 में घटकर जीडीपी का 0.42 प्रतिशत रह गया।
- सभी ग्रामीण परिवारों के लिये शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों में केन्द्रीय बजट के व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिये जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों में सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति के आशय में ज़मीनी स्तर पर सर्वेक्षण और अध्ययन करवाए जाने चाहिये।
- जल आपूर्ति और शौचालय सुविधाओं में लैंगिक पक्षपात के कारण महिलाओं को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए केन्द्रीय बजट 2012-13 के जेंडर बजट (स्टेटमेन्ट 20) में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- जल एवं स्वच्छता योजनाओं के वास्तविक लागूकरण से पूर्व उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के संदर्भ में स्थानीय समुदाय के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिये व्यय में वृद्धि।
- सरकार को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का उत्तरदायित्व निभाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षजल के व्यापक संचय को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- शौचालयों की बनावट के बारे में सामुदायिक चर्चा होनी चाहिये, जिसमें महिलाओं की सलाह पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) में समुदायों को शौचालय निर्माण में अपनाई जाने वाली तकनीक के आशय में अधिक विकल्प दिये जाने चाहिये, जैसे कि सामुदायिक शौचालय संकुलों (सीटीसी) का स्थान।
- सफाई कर्मचारियों का त्वरित पुनर्वास करने और इसके लिये पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। सफाई कर्मचारियों को अपर्याप्त मानदेय प्रदान किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी सेवाओं का नियमन करने की आवश्यकता है।
- जलस्रोतों की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके लिये पर्याप्त बजट आवंटन किया जाना चाहिये।
- जल एवं स्वच्छता सेवाओं तथा अवसंरचनाओं के प्रबंधन में योजना, निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की सक्रिय संलग्नता होनी चाहिये।
- सभी राज्यों में दस्ती सफाई उन्मूलन अधिनियम जैसे अध्यादेश अनिवार्य रूप से लागू किये जाने चाहिये। इस महत्वपूर्ण कानून की निगरानी के लिये केन्द्रीय बजट 2012-13 में आवंटन बढ़ाया जाना चाहिये।
- योजनाओं और कार्यक्रमों की वांछित प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये जल एवं स्वच्छता विभागों की समरूपता को बढ़ावा देने जैसे सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के पास पर्याप्त शक्तियाँ होनी चाहिये, ताकि जल एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सेवाओं का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जा सके।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान

- पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय शक्तियाँ सब्सिडियारिटी के सिद्धांत के आधार पर दी जानी चाहिये (अर्थात् सरकार के निचले स्तरों पर जो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया हो, वह उच्च स्तरों पर केन्द्रित नहीं होना चाहिये)। इस संदर्भ में, वित्तीय शक्तियों का विकास आवश्यक गतिविधि निर्धारण के साथ होना चाहिये।
- यह अनुशंसा है कि केन्द्रीय बजट 2012-13 की योजना राशि का 10 प्रतिशत यूनाइटेड फंड के रूप में पंचायती राज संस्थानों को दिया जाना चाहिये। इस संदर्भ में, समाज के वंचित वर्गों का समावेश सुनिश्चित करने की व्यवस्थान केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिये।
- इससे संबंधित और बारंबार उभरने वाली मांग है पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों में योजना निर्माण की प्रक्रिया का सशक्तिकरण।
- योजना निर्माण से संबंधित एक सलाह यह भी है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटाकर उन्हें ग्रामीण विकास की योजनाओं के अधिक समीप लाया जाये। बी.के. चतुर्वेदी कमेटी (योजना आयोग द्वारा नियुक्त) की रिपोर्ट ऐसे कुछ मुद्दों को संबोधित करती है, जबकि मौजूदा योजनाओं को वर्गीकृत करने के बजाये केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का अधिक सर्वांगीण और पैना मूल्यांकन आवश्यक है।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के लागूकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वित्तीय दिशा–निर्देशों को अधिक लोचशील बनाना आवश्यक है (क्षेत्रों / स्थानीय विशेषताओं के आधार पर)। ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का पारिश्रमिक समीक्षा के योग्य है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना निर्माण के लिये बजट भी आवश्यक है।
- योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, पंचायत स्तर पर अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता का विकास होना चाहिये।
- कार्यान्वयन के संदर्भ में तीन–स्तरीय प्रणाली में आंतरिक संयोजन सुनिश्चित होना चाहिये। सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में सूचना देने के लिये न्याय पंचायत स्तर पर सूचना केन्द्रों की स्थापना करने की मांग है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में उल्लिखित रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और वेतन का भगुतान समय पर किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में न्यूनतम वेतन अधिनियमों (विभिन्न राज्यों के अनुसार) को लागू करना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जिसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाय) भी कहा जाता है, में स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन, निरीक्षण और प्रशिक्षण के संदर्भ में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के अवसर पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।
- निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए इंदिरा आवास योजना (आईएवाय) में आवासों की इकाई लागत को बढ़ाया जाना चाहिये। इस योजना के अंतर्गत भुगतान एक किश्त में किया जाना चाहिये।

कृषि

- मौजूदा योजनाओं (जैसे कि एकीकृत जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम) में बारानी खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिये और इसके साथ–साथ बारानी खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नये कार्यक्रम और योजनाएं भी प्रारंभ होनी चाहिये।
- सिंचाई परियोजनाओं और जलविभाजक विकास परियोजनाओं के लिये अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिये। वर्षा जल कृषि के लिये विशेष योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम सिंचाई को बढ़ावा देने वाली योजनाओं हेतु अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिये। अनुकूल उपयोग के लिये सिंचित क्षेत्रों में अधिक प्रभावी जल प्रबंधन आवश्यक है।
- किसानों को उपज का अपर्याप्त और अनिश्चित मूल्य मिलता है। इसलिये, कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) द्वारा सुझाये गये फार्मूले के अनुसार होना चाहिये, जो कि चावल, गेहूँ और अन्य फसलों के लिये कृषि की कुल लागत और लागत की 50 प्रतिशत राशि का योग है।
- बीजों के घरेलू उत्पादन के लिये पंचायतों को बजट का आवंटन किया जाना चाहिये और एक सुपरिभाषित कृषि उपज संपोषण योजना तैयार की जानी चाहिये। इस संदर्भ में, बीज उत्पादन का व्यवसायीकरण रोकना आवश्यक है।
- छोटे और सूक्ष्म पैमाने पर खेती करने वाले किसानों की क्षमता के आधार पर विशेष धनराशि आवंटन के साथ अनावृष्टि–प्रतिरोधी धान की नई किस्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक, राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन (एनएमएसए) को कृषि की पारंपरिक पद्धतियों से जोड़ा जाना चाहिये और नये कृषि अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीक पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- इससे संबंधित एक मांग यह है कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सभी जिलों में जिला स्तरीय कृषि प्रदर्शन क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिये। कृषि की विस्तार सेवाओं के लिये अधिक बजट की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ लघु और सूक्ष्म पैमाने के किसानों को मिल सके।
- प्रत्येक जिले में एक कृषि मंडी होनी चाहिये, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों के लिये ठहरने की निशुल्क व्यवस्था होनी चाहिये।
- सरकार को देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिये भी बजट बढ़ाना चाहिये।

- खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के कार्य अधिक व्यापक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ी पोषण सुरक्षा की ओर लक्षित होने चाहिये।
- केन्द्रीय बजट 2012-13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लागूकरण के लिये पर्याप्त संसाधन प्रदान किये जाने चाहिये। बजट में खाद्य सब्सिडी वर्तमान के 60,572 करोड़ रूपये (जो कि वर्ष 2011-12 के बजट में प्रदान की गई थी) से अधिक होनी चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों की पहचान के लिये एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभग्राहियों को लक्षित करने के मानक बदलने की आवश्यकता है। अनाज वितरण की इकाई परिवार के बजाये व्यक्तियों पर केन्द्रित होनी चाहिये। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज का वितरण करने वाली उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी वितरकों के बजाये सरकार द्वारा किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज, दलहन और खाद्य तेलों को भी शामिल किया जाना चाहिये। आपदा और अनावृष्टि प्रवण क्षेत्रों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशेष प्रावधान संलग्न करने की आवश्यकता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं के लिये पर्याप्त बजट भी प्रासंगिक है। विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा–निर्देशों में ''सामाजिक लेखा–परीक्षण'' को संलग्न किया जा सकता है।
- कुपोषित बच्चों के लिये अनाज की नियत मात्रा पर पुनर्विचार करने और इसे खाद्य सुरक्षा तंत्र में संलग्न करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मध्याह्न भोजन योजना के साथ विशेष सहलग्नता पर विचार किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवा महिलाओं के लिये विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। इस प्रकार से निर्धारित की गई मात्रा मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होनी चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा–निर्देशों में परिवहन की बढ़ी हुई लागत पर विचार किया जाना चाहिये। वर्तमान में, अनाज के परिवहन का व्यय प्रथम 10 किलोमीटर के लिये 9.60 रू. और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिये 35 पैसा है, जो कि अपर्याप्त है। अतएव अनाज के परिवहन के लिये ईंधन की लागत हेतु बजट प्रदान किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवहन की लागत के मानक बदलते समय जस्टिस डी.पी. वाधवा समिति की अनुशंसा (2007) अपनाई जानी चाहिये।
- भंडारण के संदर्भ में, ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज के भंडारण के लिये पारंपरिक पद्धति लागू करने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण अनाज बैंक (वीजीबी) योजना के लिये बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि वर्तमान में केवल 9 करोड़ रू. (वर्ष 2011-12 के बजट के अनुसार) है। ग्रामीण अनाज बैंकों के अंतर्गत भंडारण सुविधा में विस्तार किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में, ग्रामीण विकास बैंकों की योजना राज्यों पर केन्द्रित होनी चाहिये, ताकि योजना निर्माण के समय स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश हो सके।

जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित नीतियाँ

- जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान करने हेतु सत्यापन योग्य जानकारी सुनिश्चित करने के लिये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी जुटाने वाले विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया जाना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक पृथक विभाग का गठन प्रस्तावित है। वर्ष 2007 में केरल की राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण एवं जैव–विविधता संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य लाने के लिये एक पृथक विभाग (पर्यावरण विभाग) की स्थापना की थी; यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के सदुपयोग हेतु सम्बंधित जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिये। वित्त मंत्रालय को भी इस निधि के उपयोग का विवरण सार्वजनिक करना चाहिये।
- जलवायु निवेश निधि के अंतर्गत वैश्विक वित्त संस्थानों से आने वाली निधि (जैसे कि: विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, अनुकूलन निधि, स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम) के अंतर्गत प्राप्त निधि) का स्थानीय समुदाय के विकास हेतु उपयोग सुनिश्चित करने के लिये विशेष संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिये।
- सामुदायिक स्तर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये बजट में वृद्धि की जानी चाहिये। जैव ईंधन के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिये पंचायती राज संस्थानों को धनराशि प्रदान की जानी चाहिये।
- सड़क निर्माण के अपशिष्ट निदान हेतु विशेष स्थानों के प्रबंधन के लिये बजट प्रदान करना पर्वतीय राज्यों में भू–स्खलन की रोकथाम में सहायक होगा।
- आपदा प्रबंधन के लिये निर्मित साधनों का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त धनराशि को मनरेगा में अलग से रखा जा सकता है।
- ऊर्जा के नवीन और नवीकरण योग्य स्रोतों को बढ़ावा देने के लिये बजट और साथ ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लागूकरण की अनुशंसा की जाती है।
- केन्द्रीय बजट 2012-13 में तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों, सूनामी या चक्रवात से प्रभावित किसानों/ मछुआरों के लिये संसाधन प्रदान किये जाने चाहिये।
- कर–निर्धारण के संदर्भ में, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी जल–विद्युत परियोजनाओं पर हरित कर लगाया जा सकता है और प्राप्त कर का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिये किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये संकुलन कर पर विचार किया जा सकता है।
- अधिकांश रियल एस्टेट डेवलपर्स ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी) का पालन नहीं करते हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित नीतियों और प्रोत्साहक योजनाओं की आवश्यकता है। (28 जून, 2007 से प्रारंभ ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता एक ऐसा दस्तावेज है, जो देश में निर्माणाधीन सभी व्यावसायिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है।)

- बाल–विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवंटन बढ़ाकर इसमें आंशिक सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी नीतियों और योजनाओं के पीछे निगरानी की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिये। विकास की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी प्रारंभ की जानी चाहिये (जैसे कि बाल पंचायत और एसएमसी में प्रतिनिधित्व)।
- सभी बाल–विशेष योजनाओं की इकाई लागत बढ़ाने की आवश्यकता है तथा यह क्षेत्र–विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये।
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के अंतर्गत पोषण की लागत के लिये आवंटन को मुद्रास्फीति के अनुसार सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। अगर इन्हें स्थानीय अनाज की अधिप्राप्ति का सहयोग मिलता है तो भी अच्छा है।
- आईसीडीएस केन्द्रों के पक्के भवन बनाने के लिये अतिरिक्त धनराशि भी आवश्यक है।
- तहसील स्तर पर एक पोषण इकाई की स्थापना के जरिये सभी बच्चों के लिये एक व्यापक पोषण योजना प्रारंभ करने की सलाह पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इससे सम्बंधित एक अन्य मांग है– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये न्यूनतम पारिश्रमिक, ताकि उनके बच्चों के लिये पर्याप्त पोषक आहार सुनिश्चित हो सके।
- आरटीई के लागूकरण हेतु आवंटन को बढ़ाये जाने और समयानुसार धनराशि जारी करने की आवश्यकता है। आरटीई के अंतर्गत नियमों और तदनुसार वित्तीय ज्ञापन का सूत्रीकरण शीघ्रताशीघ्र किया जाना चाहिये।
- इससे सम्बंधित एक अनुशंसा यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता के आशय में शासकीय विद्यालयों की उन्नति केन्द्रीय विद्यालयों के स्तर पर होनी चाहिये।
- बालश्रम का पूर्णतया उन्मूलन करना आवश्यक है; जोखिमपूर्ण और जोखिमरहित कार्यों का अंतर समाप्त किया जाना चाहिये। बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान दण्डात्मक कार्यवाही अपर्याप्त है।
- विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और दलित प्रधान क्षेत्रों में बच्चों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- एकीकृत बाल सुरक्षा सेवाओं (आईसीपीएस) और किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम, 2000 के लिये आवंटन पूरी तरह से अनुमानित हैं और बच्चों की समस्याओं को संबोधित नहीं करते हैं। इसके लिये व्यय में वृद्धि के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में एक बाल सुरक्षा इकाई होनी चाहिये और प्रत्येक पंचायत में एक बाल सुरक्षा समिति होनी चाहिये।
- बेहतर समरूपता और अधिक प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित करने के लिये विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत होनी चाहिये।
- विस्थापन से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्वास योजनाओं में बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। युद्ध के नायकों और आंतरिक संघर्ष से पीड़ित लोगों के बच्चों की आवश्यकताओं को भी पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिये।

महिलाएं

- हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को लैंगिक आधार पर होने वाली असुविधाओं को पहचानने और इसके निदान के लिये योजनाएं बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस संदर्भ में, वंचित वर्गों की महिलाओं को दोगुने तौर पर होने वाली असुविधाएं भी पहचानी जानी चाहिये और योजनाओं के माध्यम से इनका समाधान किया जाना चाहिये।
- सरकार को जेंडर बजटिंग में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई कार्य–प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है। जेंडर बजटिंग के स्टेटमेन्ट्स में विशेष योजनाओं के समावेश की अवधारणाएं विस्तार से समझाई जानी चाहिये (जीबी स्टेटमेन्ट के एक अंग के तौर पर)। ऐसी योजनाओं के वास्तविक व्यय से संबंधित जानकारी भी जीबी स्टेटमेन्ट में होनी चाहिये।
- आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आंगनवाड़ी सहायकों के मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाने का केन्द्र सरकार का कदम स्वागत योग्य है, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों में महिला कर्मचारियों को नियमित करना भी आवश्यक है। इन कर्मचारियों में शिक्षा मित्र/आशा, सहायक नर्सें (एएनएम), स्वच्छता दूत और किसान मित्र शामिल हैं। जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता है, उनके लिये न्यूनतम मेहनताना सुनिश्चित होना चाहिये।
- हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन में महिला सशक्तिकरण के चार बिन्दु निहित हैं: कानूनी, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सशक्तिकरण। प्रथम बिन्दु के अनुसार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त बजट आवश्यक है। एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है, जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने वाली महिलाओं और बालिकाओं के लिये सर्वांगीण सेवाएं प्रदान करता हो। इन सेवाओं में आश्रय गृह, हेल्पलाइन, कानूनी सहायता, परामर्श, संस्तुति सेवा, सभी पुलिस थानों में वूमन्स डेस्क, पुनर्वास, चिकित्सकीय सहायता और आकस्मिक व्यय (यह सभी सेवाएं तहसील स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिये) शामिल हैं।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 के प्रभावी लागूकरण के लिये केन्द्रीय बजट 2012.13 में पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना की प्रक्रियाएं समीक्षा योग्य हैं। इससे संबद्ध कानून, जैसे गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसूति–पूर्व जाँच तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 को भी केन्द्र सरकार के व्यय के आशय में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। संघर्षरत क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यबल के लिये व्यय की मांग भी लंबे समय से विचाराधीन है।

- आर्थिक सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय बजट में महिलाओं के विशेष समूहों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, जैसे कि अकेली महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर प्रस्तुत करने के लिये विशेष प्रावधान होना चाहिये। विधवा महिलाओं की पेंशन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिये। किसान महिलाएं भी एक महत्वपूर्ण समूह हैं, जिन पर बजट निर्धारण के समय ऋण में छूट के आशय में पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। आपदा पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु राहत निधि और कार्यों में अलग से विशेष प्रावधान होना चाहिये। राजनैतिक सशक्तिकरण के लिये, लंबे समय से चल रहे महिला समाख्या कार्यक्रम को उन्नत और व्यापक बनाया जाना चाहिये।
- संस्थागत व्यवस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों को पर्याप्य बजट के जरिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।

- अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) का प्रभावशाली लागूकरण सुनिश्चित करने के लिये इसके कार्यान्वयन को केवल एक अनुशंसित प्रावधान न रहने देकर साकार करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऐसा कानून बनाना अनिवार्य है जो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के अनुपात के आधार पर आवंटन प्रदान करे। एससीएसपी के सभी कार्यवाहकों द्वारा इसका प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय भी किये जाने चाहिये। एससीएसपी के सभी राष्ट्रीय प्रावधानों के स्थान पर सीधे लाभग्राहियों की ओर उन्मुख प्रावधान होने चाहिये।
- योजना के दस्तावेजों और बजट के दस्तावेजों में एससीएसपी के अंतर्गत आवंटन की जानकारी अलग–अलग है। इस त्रुटि का सुधार होना चाहिये और योजना के दस्तावेजों में एससीएसपी से संबंधित जानकारी बजट के दस्तावेजों में प्रदान की गई वास्तविक जानकारी पर आधारित होनी चाहिये।
- एससीएसपी के अंतर्गत योजना–रहित आवंटन का समावेश न करने के लिये स्पष्ट निर्देश होना चाहिये। एससीएसपी के अंतर्गत माइनर हेड 789 के बाहर कोई भी आवंटन नहीं होना चाहिये।
- प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित करने हेतु सभी विभागों और जिला, तहसील तथा पंचायत स्तर की समितियों में एससीएसपी के लिये एक पृथक इकाई का गठन किया जाना चाहिये; इन इकाइयों को एससीएसपी के लिये योजना बनाने और निरीक्षण का कार्य सौंपा जाना चाहिये।
- नरेन्द्र जाधव समिति की अनुशंसा के अनुसार, एससीएसपी के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ, जो व्यय होने से बच जाती हैं, उन्हें खर्च नहीं किया जाना चाहिये। इन निधियों का अलग से संग्रह किया जाना चाहिये और इनका उपयोग अगले वित्त वर्ष में किया जाना चाहिये।
- दलितों के विकास की व्यापक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिये और विभिन्न संबद्ध योजनाओं में समरूपता होनी चाहिये। एससीएसपी में रोजगार, कुशलता विकास, उद्यमिता विकास और उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। योजना निर्माण, लागूकरण, निरीक्षण और मूल्यांकन समेत सभी स्तरों पर दलित समुदाय की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये।
- एससीएसपी के लागूकरण को सशक्त बनाने के लिये संभावित उपायों में से एक यह हो सकता है कि एससीएसपी का लागूकरण नहीं होने के लिये उत्तरदायी पाये जाने वाले अधिकारियों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्यवाही हो।
- एससीएसपी की निधियों का लेखा–परीक्षण अनिवार्य होना चाहिये। तीन स्तरीय लेखा–परीक्षण में सामाजिक लेखा–परीक्षण, आंतरिक लेखा–परीक्षण और लेखा–नियन्त्रा एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षण हो सकता है।
- अनुसूचित जाति समुदाय के लिये ऋण को सुलभ बनाने हेतु एनएबीएआरडी की तर्ज पर एक राष्ट्रीय सामाजिक विकास बैंक की स्थापना की जानी चाहिये।
- लाभग्राहियों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिये जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) जैसी सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लाभग्राहियों की सूची अलग से होनी चाहिये।

अनुसूचित जनजातियाँ

- जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) का प्रभावशाली लागूकरण सुनिश्चित करने के लिये इसके कार्यान्वयन को केवल एक अनुशंसित प्रावधान न रहने देकर इसे साकार करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऐसा कानून बनाना अनिवार्य है जो कुल जनसंख्या में जनजातियों के अनुपात के आधार पर आवंटन प्रदान करे। टीएसपी के सभी कार्यवाहकों द्वारा इसका प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय भी किये जाने चाहिये। टीएसपी के सभी राष्ट्रीय प्रावधानों के स्थान पर सीधे लाभग्राहियों की ओर उन्मुख प्रावधान होने चाहिये।
- बजट के दस्तावेजों और योजना के दस्तावेजों में टीएसपी के अंतर्गत आवंटन की जानकारी अलग–अलग है। इस त्रुटि का सुधार होना चाहिये और योजना के दस्तावेजों में टीएसपी से संबंधित जानकारी बजट के दस्तावेजों में प्रदान की गई वास्तविक जानकारी पर आधारित होनी चाहिये।
- जनजातीय क्षेत्रों में परंपरागत उपचार पद्धति के लिये दवाखाने और अस्पताल स्थापित करने हेतु पर्याप्त व्यय किया जाना चाहिये। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों और अन्य सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त धनराशि का आवंटन भी आवश्यक है। इस संदर्भ में, जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सा कर्मचारियों के लिये पारितोषिक की व्यवस्था भी आवश्यक है।
- जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देते हुए राज्यों को विद्यालयीन आधारभूत संरचना विकास, शिक्षण–प्रशिक्षण सामग्री, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास और शिक्षकों के क्षमता निर्माण हेतु अधिक फंड दिया जाना चाहिये। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की मौजूदा इकाई लागत बढ़ाई जानी चाहिये। व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिये।
- जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आय–अर्जन और रोजगार की गतिविधियों, विशेषकर कृषि के लिये पर्याप्त फंड प्रदान किया जाना चाहिये।
- वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का लागूकरण एक संबद्ध अनुशंसा है। जनजातीय कल्याण योजनाओं और विधानों, जैसे एफआरए और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) के प्रभावी निरीक्षण एवं लागूकरण के लिये जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और पंचायतों से जुड़े व्यक्तियों के क्षमता निर्माण हेतु अतिरिक्त आवंटन आवश्यक है। इस संदर्भ में, जनजातीय कल्याण के लिये स्थापित शासकीय संस्थानों में मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना के विस्तार हेतु व्यय आवश्यक है।

- देश के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों में से मुस्लिम, विकास के मामले में सबसे पिछड़े हैं। इस संबंध में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कई उपाय सुझाये हैं और जांच से पता चला है कि इनमें से कई उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। केन्द्रीय बजट 2012-13 में मुस्लिमों के विकास की दिशा में संसाधनों का आवंटन करते हुए इन उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- उद्यमिता विकास के आशय में, खादी और कार्पेट के बुनकरों को हैण्डलूम सेक्टर की तरह कर्ज माफी की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। आगामी केन्द्रीय बजट में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लघु, छोटे और मझोले उद्योगों के मंत्रालय को मुस्लिमों के लिये आर्थिक अवसर उत्पन्न करने हेतु दिशा–निर्देश अपनाने चाहिये।
- ऋण के मामले में मुस्लिमों के लिये 15 प्रतिशत ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का सभी बैंक पालन नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में केन्द्रीय बजट 2012-13 में विशिष्ट अनुशंसाएं होनी चाहिये।
- शिक्षा के मामले में कई बाधाएं हैं और मुस्लिम विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, इसे सरल बनाने की आवश्यकता है। इससे सम्बंधित एक मांग यह भी है कि छात्रवृत्तियों एवं अन्य पात्रताओं की इकाई लागत में वृद्धि की जाये और इसे केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के मानकों के अनुसार बनाया जाये। मुस्लिम विद्यार्थियों द्वारा बड़ी संख्या में लगातार पढ़ाई छोड़ने की समस्या से निपटने के लिये केन्द्रीय बजट 2012-13 में उचित पारितोषिक की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- स्वास्थ्य के मामले में अल्पसंख्यक सघन जिलों में अस्पताल खोलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके लिये एमएसडीपी पर किया जाने वाला व्यय बढ़ाया जाना चाहिये। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- मुस्लिम महिलाएं दोहरे तौर पर वंचित रहती हैं इसलिये बजट के व्यय में उनके विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। लघु आवास गृहों के लिये बजट मुहैया कराने से निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की समस्या दूर होगी। मुस्लिम महिलाओं के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- मुस्लिमों के सर्वांगीण विकास के आशय में, एमएसडीपी और प्रधानमंत्री का नया 15–पॉइंट प्रोग्राम सबसे महत्वपूर्ण हैं। आगामी केन्द्रीय बजट में इन दो योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इनके लिये व्यय निर्धारित करना समस्या के हल का केवल एक पहलू है, जबकि यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इन योजनाओं का लागूकरण अधिक प्रभावी ढंग से हो और सेवाओं की आपूर्ति वांछित लाभग्राहियों के लिये हो।
- संभावित लाभग्राहियों की पहचान के लिये एमएसडीपी और प्रधानमंत्री के नये 15–पॉइंट प्रोग्राम की पहुँच जिलों के बजाए मुस्लिम बहुल गांवों तक होनी चाहिये।
- प्रधानमंत्री का नया 15–पॉइंट प्रोग्राम केवल अनिवार्य सेवाओं के लिये कार्यरत मंत्रालयों तक सीमित नहीं होना चाहिये, बल्कि यह उन सभी क्षेत्रों तक पहुँचना चाहिये, जो मुस्लिमों के दीर्घकालिक विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं।

विकलांग व्यक्ति

- केन्द्र सरकार के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रदत्त प्राथमिकता अत्यंत दयनीय है; यह वर्ष 2007 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) की संपुष्टि के बाद अपेक्षित प्रतिबधताओं से दूर है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक सहयोग सेवा और रोजगार के क्षेत्र में।
- समाज की मुख्यधारा में विकलांग व्यक्तियों के समावेश और उन्हें सार्वजनिक व्यय का लाभ देने हेतु विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जनजागरूकता उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- केन्द्रीय बजट 2012-13 में सभी सम्बंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में 11वीं पंचवर्षीय योजना की 3 प्रतिशत आवंटन वाली अनुशंसा लागू की जानी चाहिये। ऐसे सभी मंत्रालयों/विभागों में एक विकलांगता इकाई की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिये, ताकि एक ऐसी विकलांगता नीति का विकास हो, जो बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों समेत सभी विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबद्ध सेवाओं और योजनाओं हेतु प्रदत्त निधियों का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित कर सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय को विकलांग व्यक्तियों के लिये संचालित अपनी योजनाओं के प्रभाव का सही निरीक्षण करने के लिये प्रत्येक स्तर पर जानकारी एकत्र करनी चाहिये। इसी प्रकार, मुख्यधारा की विभिन्न मौजूदा योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रावधानों की आवश्यकता है।
- सभी विकलांग व्यक्तियों के लिये परिवहन, सार्वजनिक स्थान और सेवाएं सुलभ बनाने हेतु विशेष आवंटन की आवश्यकता है।
- विकलांगता की पहचान, पात्रता निर्धारण और सहयोग सेवाओं की विभिन्न प्रवेश प्रक्रियाओं को ऐसे दिशा–निर्देशों के साथ संशोधित किया जाना चाहिये, जिनमें विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक शामिल हों।
- विकलांग विद्यार्थियों और कर्मचारियों की आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों और कारखानों में समान अवसर इकाइयाँ होनी चाहिये।
- बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों समेत सभी विकलांग बच्चों के लिये विद्यालयीन आधारभूत संरचना को सुगम बनाने, उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सहायक सामग्री प्रदान करने, नियमित शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और विभिन्न सम्बंधित व्यक्तियों को विकलांग बच्चों के अधिकारों एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु समावेशी शिक्षा (व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा समेत) में बजट के माध्यम से निवेश किया जाना चाहिये।
- सभी विकलांग व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्यसेवाएं सुलभ बनाने हेतु बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, इन सेवाओं में प्रारंभिक जाँच एवं उपचार तथा स्वास्थ्यलाभ सेवाओं के साथ–साथ सभी स्तरों पर स्वास्थ्यकर्मियों के लिये विकलांगता प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण शामिल हैं। विकलांग बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये प्रजनन संबंधी स्वास्थ्यसेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और मानसिक स्वास्थ्यसेवाओं में निवेश भी अपर्याप्त है, जो कि यूएनसीआरपीडी के अनुसार नहीं है।
- विकलांग बच्चों और वयस्कों के परिवारों के लिये सामुदायिक सहयोग सेवाओं हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान किये जाने चाहिये (जैसे कि निजी सहायक और सांकेतिक भाषा के व्याख्याता)।
- घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से पीड़ित विकलांग महिलाओं के लिये सहयोग तंत्र का विकास किया जाना चाहिये। इन सेवाओं के लिये प्रदत्त निधियों का हिस्सा संस्थागत आवासीय सेवा के लिये व्यय किया जाना चाहिये, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
- कई अनुबंधों और सम्मेलनों के बावजूद विकलांग व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर और प्रशिक्षण एक चुनौती है। केन्द्रीय बजट 2012-13 में यह चुनौती दूर करने के लिये विकलांग व्यक्तियों हेतु रोजगार कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त बजट प्रदान किया जाना चाहिये।

- असंगठित कर्मचारी देश की जनसंख्या के सुविधाहीन भाग का एक बड़ा हिस्सा हैं। इस संदर्भ में, असंगठित कर्मचारियों के श्रेणीकरण में मनरेगा कर्मचारियों, आशा कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आदि समेत घरेलू और अवैतनिक महिला कर्मचारियों तथा असंगठित कर्मचारियों के परिवारों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है। इसकी शुरूआत के लिये सामाजिक सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ (आईएलओ) के सम्मेलन 102 के अनुसार परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- सभी प्रकार के असंगठित कर्मचारियों के लिये मानक कार्य दशाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रणाली की स्थापना के लिये केन्द्रीय बजट के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये।
- असंगठित कर्मचारियों की समस्याओं के निदान हेतु असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की मांग है। असंगठित कर्मचारियों के लिये लाभ के परिमाण को संगठित कर्मचारियों के लिये उपलब्ध लाभ के समान करने की आवश्यकता है।
- सरकार को इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जीडीपी में आकलित 58 प्रतिशत भागीदारी के साथ हमारी अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है। विगत कुछ वर्षों से सेवा कर सरकार के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक के रूप में उभरा है; और इस राजस्व में असंगठित कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। असंगठित कर्मचारियों के लिये यथोचित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस बाबत सरकार का कुल व्यय जीडीपी का लगभग 5 प्रतिशत होना आवश्यक है। केन्द्रीय बजट में असंगठित कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से इस वास्तविकता और आवश्यकता के आधार पर व्यय की आपूर्ति होनी चाहिये।

कर–राजस्व

- यह सूची न केवल केन्द्रीय बजट की प्राथमिकताओं के नवीनीकरण की मांग करती है, बल्कि सरकार की सर्वांगीण वित्तीय नीति के विस्तार हेतु एक सशक्त ढांचा प्रस्तुत करती है (अर्थात् देश की अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में सरकार के बजट का विस्तार); इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि की जाये। इस संदर्भ में, कर–निर्धारण सरकार के लिये संसाधनों की वृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण नीति प्रस्तुत करता है।
- इसके अतिरिक्त, असमानता से प्रभावित हमारे समाज में कर–निर्धारण मूल रूप से सामाजिक न्याय से भी सम्बंधित है। भारत की कर प्रणाली, जिसमें लगभग दो–तिहाई राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाता है और केवल एक–तिहाई राजस्व प्रत्यक्ष करों से आता है, अन्य कई देशों की कर प्रणाली से विपरीत है (जिसमें कर राजस्व का अधिकांश अंश प्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाता है)। इसलिये, कर–निर्धारण से संबंधित केन्द्र सरकार की नीति को अधिक प्रगतिशील बनाने की आवश्यकता है, जिसमें राजस्व का अधिकांश अंश प्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाये।
- केन्द्र और राज्यों द्वारा एकत्र कुल कर राजस्व वर्ष 2007-08 में जीडीपी के 17.4 प्रतिशत (जो कि पहले से ही निचले स्तर का है) से घटकर वर्ष 2010-11 में जीडीपी का 14.7 प्रतिशत हो गया। अतएव, देश के कर–जीडीपी अनुपात को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय बजट 2012-13 में ठोस कदम उठाना महत्वपूर्ण है; इससे हमारी सरकार को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के लिये संसाधनों पर अधिक व्यय करने का सामर्थ्य मिलेगा।
- केन्द्र सरकार की कर प्रणाली में (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में) छूट / पारितोषिक / कटौती की अधिकता के कारण राजस्व में बहुत कमी आई है। केन्द्र सरकार को अधिकतर कर कटौतियों के औचित्य की समीक्षा करनी चाहिये क्योंकि इनमें से कई कटौतियाँ (विशेषकर वह जो निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबद्ध हैं और मुख्य रूप से धनाढ्य और समृद्ध वर्गों को लाभ पहुँचाती हैं) हटाई जा सकती हैं और राजस्व हानि के परिमाण को कम किया जा सकता है।
- कर बचाने के ज्ञात मामलों में बकाया राशि की शीघ्रता से वसूली करने की आश्यकता है। वर्तमान में यह राशि 3 लाख करोड़ रूपये से अधिक है। यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार कर बचाने के ज्ञात और जारी मामलों के अभियुक्तों से अर्थदण्ड (संपूर्ण राशि) वसूलने के लिये कदम उठाए। कर बचाने के ज्ञात और जारी मामलों के अभियुक्तों से ब्याज की राशि (अभी तक की) वसूलना भी ऐसा कार्य है, जिस पर केन्द्रीय बजट 2012-13 में ध्यान देने की घोर आवश्यकता है।
- बकाया राशि को "खारिज" करने (कर बचाने के ज्ञात मामलों में) का विकल्प न्यूनतम होना चाहिये। फरवरी, 2011 में वित्त मंत्रालय ने कुल 1.43 लाख करोड़ रूपये धनराशि को नहीं वसूलने योग्य बकाया राशि के रूप में दर्शाया और इस धनराशि को खारिज करने की इच्छा जताई। व्यापक देशहित में यह सलाह दी जाती है कि जनतांत्रिक राजकोष में जाने योग्य इस धनराशि को छोड़ना नहीं चाहिये।
- खनिज संसाधनों से प्रचुर राज्यों जैसे झारखंड और उड़ीसा में संसाधनों, जैसे कि कोयले के उत्खनन शुल्क के भुगतान से संबद्ध नीतियों की समीक्षा आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे राज्यों को पर्याप्त अधिशुल्क प्राप्त हो और प्राप्त राशि को खदान क्षेत्रों के स्थायी विकास के लिये व्यय किया जाये।
- कई विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित किया है कि प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर कर में 100 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित करता है (अर्थात् यदि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीदी के एक वर्ष बाद बिक्री होती है, तो बिक्री से प्राप्त लाभ पर कोई कर नहीं)। अल्पकालिक पूंजी लाभ के संदर्भ में यह संहिता लाभ के केवल आधे भाग पर कर का प्रस्ताव देती है। सरकार को प्रत्यक्ष करों द्वारा राजस्व बढ़ाने और हमारे देश के पूंजी बाज़ारों में लाभ की आशा से किये जाने वाले निवेश का विनियमन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन प्रस्तावों की समीक्षा करनी चाहिये।

यूनियन बजट 2012–13, नई दिल्ली, दिसम्बर 7 और 8, 2011 के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सहभागियों की सूचि

1. ए. के. सिंह, लीड्स
2. ए.वी.एम. स्वामी, एम वी फाउंडेशन
3. आरिस मोहम्मद, सेन्टर फॉर शोसल जस्टिस
4. आशा रमेश, कन्सल्टेन्ट– जेंडर एंड डेवेलपमेंट
5. अजय सिन्हा, क्राय
6. अमित नारकर, नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज (एनसीएएस)
7. अमिताभ मिश्रा, जीडीएस
8. अनिल नायर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च
9. अनिल पटनायक, संकल्प
10. अनिस भाई, ग्रामीन युवा एवं बाल विकास परिषद
11. अनिता दास, नेशनल हॉकर फेडरेशन
12. अंजेला तनेजा, ऑक्सफेम इंडिया
13. अनुप कुमार श्रीवास्तवा, चित्रा
14. अरविन्द कुमार मिश्रा, ऑल इंडिया प्राइमरी टिचर्स फेडरेशन
15. आसुतोश कुमार विशाल, एनसीडीएचआर
16. अश्विनी पॉलीवाल, आस्था
17. ए.मोहम्मद, एएमआईईडी
18. अतुल सिंह, दून यूनिवर्सिटी
19. अविक स्वानाकर, कुसूमा फाउंडेशन
20. अविनाश कुमार, ऑक्सफेम इंडिया
21. अयूब खान, एएमआईईडी
22. बी. मीनाक्षी, विद्यासागर
23. बी. डी. ए. सत्याबाबू बोस, सेंटर फॉर रूरल स्टडीज एण्ड डेवेलपमेंट (सीआरएसडी)
24. बी.आर.बालगंगाधर, एक्शन फॉर शोसल एंड एजुकेशनल डेवेलपमेंट एशोसिएशन
25. बबलू लोइटोंगबम, ह्यूयमन राइट्स एलर्ट
26. बगूजा, बोमासन्द्रा पंचायत
27. ब्रजेन्द्र कुमार यादव, नेशनल हॉकरस् फेडरेशन
28. भंवर सिंह, आस्था
29. भूमिका जाम्ब, सीबीजीए
30. भुवन चंद नालीवाल, सीबीजीए
31. विभु प्रसाद साहू, मैत्री युवा संसद नयागढ़
32. विमलाचंद्राशेकर, एकता रिसोर्स सेंटर फॉर वूमेन
33. बीनू सिबेस्टियन, वाणी
34. विराज स्वेन, ऑक्सफेम इंडिया
35. विष्णु यादव, युवा जनजागृति फांउडेशन
36. बुलु सरीन, वर्ल्ड विजन इंडिया
37. सी. पी. चन्द्राशेखर, जेएनयू
38. केलटिलीन मेकमिलन, उब्ल्यू एन टी ए
39. चन्दालाल बैरवा, सेंटर फॉर दलित राइटस् (सीडीआर)
40. चित्राली भट्टाचार्या, लक्ष्य
41. डी.एस.नैन, ए.डी.पी.एस.एस–ए.आई.पी.टी.एफ
42. दयाराम, कन्सल्टेन्ट
43. देवाजीत गोस्वामी, स्कॉर्पियन
44. दीपक एल जेवियर, ऑक्सफेम इंडिया
45. देविका विश्वास, संकल्प
46. दीपांकर मुखर्जी, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू)
47. ई रूपारॉव, समता वेदलका (फोरम)
48. गदाधर प्रधान, एकता परिषद
49. गोपाल थपलियाल, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम
50. गौरी चौधरी, एक्शन इंडिया
51. गोर्वधन सिंह, जतन संस्थान
52. गोविन्द राम, ए.डी.पी.एस.एस/एआईपीटीएफ
53. गुरूनाथ सावंत, समर्थन मुंबई
54. ज्ञान रंजन पांडा, सीबीजीए
55. हाजी इब्राहिम खान, एएमआईईडी
56. हरि सिंह, आईएनपी
57. हरिगोविन्द सिंह, आर्थिक अनुसंधान केन्द्र
58. हर्ष सिंह रावत, सीबीजीए
59. हिल्डा ग्रेस, सेंटर फॉर रूरल स्टडीज एण्ड डेवेलपमेंट (सीआरएसडी)
60. हिमांशु झा, नेशनल शोसल वॉच कोएलेशन
61. इन्द्रानी दत्ता, ओकेडी इंन्स्टीच्यूट ऑफ शोसल चेंज एंड डेवलपमेंट
62. जे.बी.जी. तिलक, एनयूईपीए
63. जे.डी. सिलम, मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट (राज्य सभा)
64. जगदीश ठाकोर, मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट (लोक सभा)
65. जलील अहमद, पापुलेशन कॉउंसिल
66. जमू देबबर्मा, इंडीजेनस यूथ आर्गेनाईजेशन ऑफ तवीपरा
67. जावेद आलम खान, सीबीजीए
68. के. ए. जयकुमार, वर्ल्ड विजन इंडिया
69. कमरू खान, एएमआईईडी
70. कनिका कॉल, सीबीजीए
71. कात्यानी एस.एल., ग्राम पंचायत
72. केसर दवे टांक, जतन संस्थान
73. खिरोद चन्द्रा रोत्रे, उधोग
74. ख्वाजा मोबीन उर रहमान, सीबीजीए
75. कृष्णा कुमार, नेशनल हॉकर फेडरेशन
76. कृति खुराना, पाथ
77. लक्ष्मणासैमी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर
78. ललिथा एस.ए. नायक, एसईएस/एटीएन
79. एम.बी. राजेश, मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट (लोक सभा)
80. मधुकर, प्रभात खबर
81. मधुमिता, एनयूईपीए
82. मधुरिमा दत्ता, सीएलआरए
83. महेन्द्र जेठ मलानी, पाथ्या
84. महेश पवार
85. मेहताब आलम, सीडीएचआरडी
86. मनीष कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश वाल्युंटेरी एक्शन नेटवर्क (यूपीवीएएन)
87. मंजू बहुगुणा, एक्शन इंडिया
88. मनोज कुमार ठाकुर, नेशनल आरटीआई फोरम
89. मनोज कुमार, स्टॉप वूमेन एंड चाइल्ड वायलेंस नेटवर्क
90. मंजूर अली, सीबीजीए
91. मैथ्यू कप्लान, नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज (एनसीएएस)
92. मीना नायर, पब्लिक अफेयर सेंटर
93. मीनू सुर, घरेलू महिला नामगार युनियन
94. मोहन अहिर, जतन संस्थान
95. मोहम्मद अली आजाद अंसारी, शोसल एक्शन इंडिया ट्रस्ट
96. मोहम्मद सिराज
97. मोना सुर, मजदूर पंचायत
98. मूनलिनी फदनाविस, युवा
99. एम. हमसा, वूमेन पावर कनेक्ट
100. नदीम अरसद, इंन्स्टीच्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी
101. नंद किशोर, एचएनबीजीयू, श्रीनगर
102. नरेन्द्र जेना, सीबीजीए

103. नेहा हुई, सीबीजीए
104. निर्मल दास मनकर, एनसीडीएचआर
105. निस्सी लाल लैरोचन, रूरल वूमेन अपलिफ्टमेंट सोशाइटी (आरडब्ल्यूयूएस)
106. नितीन जाधव, साथी
107. पवित्र कुमार स्वेन, शोसल एक्टिविस्ट
108. पॉल दिवाकर, एनसीडीएचआर
109. पवनदीप सिंह, एसओएसएसएचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी
110. पियूष शर्मा, दून यूनिवर्सिटी
111. पिरवेश, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा
112. पूजा पार्वती, सीबीजीए
113. प्रमोद कुमार सिंह, विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान
114. प्रनव ज्योति नियोग, जेवियरस् फाउंडेशन
115. प्रसन्ना कुमार पति, द समाज
116. प्रवास मिश्रा, सीवाईएसडी
117. प्रवीण झा, जेएनयू
118. प्रीति मेहरा, द हिन्दू
119. प्रियदर्शिनी मोहन्ती, सीबीजीए
120. आर पदमिनी, चाइल्ड राइटस् ट्रस्ट
121. आर. रवि कुमार, नेशनल दलित फोरम
122. आर. सी. दवास, एआईपीटीएफ
123. आर एस तिवारी, नेशनल हॉकर फेडरेशन
124. रागिनी शर्मा, एनसीडीएचआर
125. रहमान खान, एएमआईईडी
126. रईस अहमद, ईएफआरएएच
127. राजा राजेश्वरी, सिविक
128. राजेन्द्र शर्मा, एएमआईईडी
129. राजेश गुप्ता, दर्शना महिला कल्याण समिति
130. राजेश शुक्ला, आस्था वेलफेयर शोसाइटी
131. राजलक्ष्मी दत्ता, दून यूनिवर्सिटी
132. राजवीर सिंह, इग्नू
133. राखी सहगल, न्यू ट्रेड यूनियन इनिसिएटिव (एनटीयूआई)
134. रक्तिम मुखोपद्धायाय, बंगिया उन्यान परिषद
135. रामराज, खेत्या ग्रामीण मजदूर यूनियन
136. रंजनानिरूला, ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमिटि ऑफ आशा वर्कर्स
137. रंजीत सिंह, क्राय
138. रश्मि रानी, बालाबन्तरे, उत्कल यूनिवर्सिटी
139. रत्नेश्वर साहू, मोगांव विकास अभियान
140. रवि दुग्गल, इंटरनेशनल बजट पार्टनरसिप (आईबीपी)
141. रेमी जेकब, वर्ल्ड विजन इंडिया
142. रेणु ठाकुर, अर्पन
143. रेणुका, हलगिरी ग्राम पंचायत
144. रोशनी देवी, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा
145. रॉय कुंजप्पी, सेंटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ रिसर्च (सीसीएचआर)
146. रूपेश बालाचंद्रा किर, समर्थन, मुंबई
147. एस. जीवानंद, नेशनल सेटर फॉर लेवर
148. एस.एम.ताजउद्दीन, बीबीए
149. सज्जन कुमार, नई पहल
150. शक्ति गोल्डर, सीबीजीए
151. शक्तिमान घोष, नेशनल हॉकर फेडरेशन
152. सामी अहमद
153. समीर बलवंतरे
154. समीउल्लाह, पहल
155. संजय कुमार अग्रवाल, डेवलिंग कन्ट्रीज रिसर्च सेंटर (डीसीआरसी)
156. संखनाथ बंदोपाद्धयाय, सीबीजीए
157. सरोज सागर, एक्शन इंडिया
158. शशिप्रभा विंधानी, स्वाभिमानी/एसओडीए
159. सतीश लहरी, सेंटर फॉर दलित राइटस्
160. सत्यपाल सिंह, खेत्या ग्रामीण मजदूर यूनियन
161. सौमेन चटोपाद्धयाय, जेएनयू
162. सौम्य श्रीवास्तवा, सीबीजीए
163. शाहताज, वूमेन्स वायस
164. शैलेन्द्र प्रताप, डीएएए/एनसीडीएचआर
165. स्नमुगा प्रिया, शोसल वॉच तमिलनाडु
166. शांति औलक, मुस्कान
167. शिल्पी गांगुली, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लायमेंट ऑफ डिसेबल पीपल (एनसीपीईडीपी)
168. सिराज एस. सहूलत
169. सिरीश कवाडी, नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज (एनसीएएस)
170. शिवानी गुप्ता, एक्सेस एविलिटी
171. शिवराज, मजदूर पंचायत
172. सुभांशा बक्शी, सीबीपीएस
173. सुभ्रो रॉय, नेशनल शोसल वॉच कोएलेशन
174. स्वेतांजलि कुमार, पाथ
175. श्याम प्रसाद मंत्री, आन्ध्रा प्रदेश ह्यूयमन राइटस् कांउसिल
176. सिरिवेला प्रसाद, नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस
177. स्मिता गुप्ता, इंन्स्टीच्यूट फॉर ह्यूयमन राइटस्
178. शोहिनी कर्माकर, सीएलआरए
179. सौमेन रे, नेशनल सेंटर फॉर लेबर
180. सौरभ चक्रवर्ती, कुसूम फाउंडेशन
181. शुभाषिणी पेरूमल, वूमेन पावर कनेक्ट
182. सुब्रत दास, सीबीजीए
183. सुचित रंजन सिंह, बिमला श्याम फाउंडेशन
184. सुदेशना सेन गुप्ता, मोबाईल क्रैस
185. सुधाराम मूर्ति, विद्यासागर
186. सुलेखा सिंह, एक्शन इंडिया
187. सुमिता गुप्ता, सीबीजीए
188. सुप्रिया रॉय चौधरी, ऑक्सफेम इंडिया
189. सुरेखा, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा
190. स्वासतिका संघ मित्रा, सहेली अध्ययन केन्द्र
191. सईदा खातून, दून यूनिवर्सिटी
192. तपन कुमार महापात्रा, चाइल्ड राइटस् इंडिया
193. तारा रावत, सीबीजीए
194. त्रिपूरासुन्दर राव कुप्पिली, आन्ध्रा प्रदेश ह्यूयमन राइटस् कांउसिल
195. त्रिशा अग्रवाल, सीबीजीए
196. यू. सुब्रमन्यम, इंडियन इंन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स
197. उज्जवल कुमार, एसएसपीडी
198. उमेश बाबू, एनसीडीएचआर
199. उमेश कुमार गुप्ता, नेशनल कोएलेशन फॉर एजूकेशन
200. विद्या विश्वनाथन, सिविल शोसाईटी मैगजीन
201. विजय गोयल, रिसोर्स इंन्स्टीच्यूट फॉर ह्यूयमन राइटस
202. विजय कुमार सिंह, एआईएसटीएफ
203. विजय लक्ष्मी, जतन संस्थान
204. विनोद व्यासलू, सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज
205. वीरेन्द्र सखा, लोहरदग्गा ग्राम स्वाराज्य संस्थान
206. वलूल्लाह अहमद लश्कर, बराक ह्यूयमन राइटस् प्रोटेक्शन कमिटि
207. यसवंत चौहा, नेशनल हॉकर फेडरेशन
208. यवनिका, वादा न तोड़ अभियान
209. योगेश कुमार, समर्थन
210. जकिया सोमन, भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन

केन्द्रीय बजट 2012–13 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले सहभागियों के नाम

केन्द्रीय बजट 2012–13 के परिप्रेक्ष्य में पूर्वी भारत सम्मेलन (रांची, झारखण्ड)

1. ए.के. सिंह, लीड्स, रांची, झारखंड
2. अहमद हुसैन, ग्लोबल विजन, झारखंड
3. अजय कुमार, आशा हटिया, रांची, झारखंड
4. अनंगदेव सिंह, वर्ल्ड विजन इंडिया, रांची, झारखंड
5. अनूप वैलीरियन मिंज, ग्रेविस, रांची, झारखंड
6. अरविंद कुमार, लोक जागृति केन्द्र, मधुपुर, झारखंड
7. अरूण आनंद, स्वराज फाउंडेशन, हज़ारीबाग, झारखंड
8. आशीष दास, हंगर फ्री, पश्चिम बंगाल
9. अशोक कुमार परिरा, जन उत्थान समिति, रांची, झारखंड
10. आशुतोष कुमार, एनसीडीएचआर, दिल्ली
11. अवंतिका कच्छप, एसवीडब्ल्यूएसडी, डोरंडा, रांची, झारखंड
12. बी.एन. दास, ओल्ड राउरकेला एज्युकेशन सोसायटी, उड़ीसा
13. बलराम, वरिष्ठ सलाहकार, राइट टू फूड, रांची, झारखंड
14. बेंजामिन लाकरा, रिटायर्ट ए.जी., झारखंड
15. भूदेव भाकट, एसबीएमएस वेस्ट सिंहभूम, झारखंड
16. भूमिका, सीबीजीए, दिल्ली
17. बिहारी सोय, पंचायत समिति सदस्य, मुहरू खूंटी, झारखंड
18. बुलु सरीन, वर्ल्ड विजन इंडिया, दिल्ली
19. चंद्र शेखर, स्वराज लोक विकास संस्थान, गिरिडिह, झारखंड
20. देवकीनंदन प्रसाद, नागरिक कल्याण समिति, रांची, झारखंड
21. डॉ. शकील, सीएचएआरएम, पटना
22. डॉ. विष्णु राजगड़िया, नई दुनिया, रांची, झारखंड
23. गज़ाला रेयान, लोकविकास, उड़ीसा
24. हरिश्वर दयाल, झेवियर्स कॉलेज, रांची, झारखंड
25. हुसैन इमाम फातमी, स्पार्क, रांची, झारखंड
26. जे.डी. लुईस, टीएचयूडीए, रांची, झारखंड
27. जनमेजय पटेल, सुंदरगढ़ एज्युकेशन सोसायटी, उड़ीसा
28. ख्वाजा मोबीन, सीबीजीए, दिल्ली
29. किरन शंकर दत्त, अग्रगति, रामगढ़, झारखंड
30. कुमार संजय, सीआरईजे, रांची, झारखंड
31. मधुकर, प्रभात खबर, रांची, झारखंड
32. महिन्द्रा, एसपीडब्ल्यूओ, रांची, झारखंड
33. मनोहर कुमार, जन सरोकार, रांची, झारखंड
34. मनोज, एस.एम.वी.एम., रांची, झारखंड
35. मोहम्मद इसराफिल, स्टेट एज्युकेशन चैप्टर, राइट ट्रेक, कोलकाता
36. श्री मानस दास, टीआरसीएससी, रांची, झारखंड
37. श्री सच्चिदानंद, एमएमकेके, रांची, झारखंड
38. सुश्री स्वस्तिका संघमित्रा, सहेली अध्ययन केन्द्र, पाकुर, झारखंड
39. नरगिस, एस.एम.वी.एम., रांची, झारखंड
40. नील मणि, दर्पण, हज़ारीबाग, झारखंड
41. निरूपमा मोहंती, सेवामंदिर, उड़ीसा
42. पप्पू कुमार, दर्पण, हज़ारीबाग, झारखंड
43. पिलातस, सोसायटी फॉर डेवलपमेन्ट एक्शन, पटना
44. प्रवास मिश्रा, सीवायएसडी, भुवनेश्वर
45. पुनिता, बचपन बचाओ आंदोलन, पटना
46. रमेश शरन, रांची यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड
47. राउतु बोदरा, कोल्हान महिला संगठन, चाइबासा, झारखंड
48. राजी आलम, विकास फाउंडेशन, हज़ारीबाग, झारखंड
49. रितेश चंद्रा, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, गिरिडिह, झारखंड
50. एस.एन. सिंह, सीईडी, रांची, झारखंड
51. सिलानंद रवि, टेटे सामाजिक सेवा सदन, उड़ीसा
52. सुब्रत दास, सीबीजीए, दिल्ली
53. सुधीर पाल, मंथन, रांची, झारखंड
54. सुमित कुमार, छोटानागपुर, क्राफ्ट डेवलपमेन्ट सोसायटी, हवाई नगर, रांची, झारखंड
55. सुरंजीन, सीआईएनआई, अशोक नगर, रांची, झारखंड
56. सुरेश साहू, टीआरसीएससी, रांची, झारखंड
57. स्वपन मन्ना, श्रीजन फाउंडेशन, हज़ारीबाग, झारखंड
58. वीरेन्द्र सखा, एलजीएसएस, लोहारडागा, झारखंड
59. वाय.बी. प्रसाद, रिटायर्ड आईएएस, रांची, झारखंड

केन्द्रीय बजट 2012–13 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर–पूर्वी भारत सम्मेलन (गुवाहाटी, असम)

1. अलका देसाई शर्मा, नागेन शर्मा मेमोरियल सोसायटी, गुवाहाटी
2. एंथोनी डेबर्मा बोरोक पीपल्स ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन
3. अनुरिता पी. हज़ारिका नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी
4. बंटेई, एल. नॉन्गपेई रिलम फाउंडेशन, शिलांग
5. बारनाबस किंडो, पझरा, तेजपुर
6. डेबाजित गोस्वामी, स्कॉर्पियन, गुवाहाटी
7. गैरी एम.जी. नेंगनॉम, बेथैनी सोसायटी, शिलांग
8. गीता भट्टाचर्जी, एएमएसएस, गुवाहाटी
9. ज्ञान, सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटी, नई दिल्ली
10. इबादास्कूलिन खारशेंडी, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी
11. आई.एच. बारबोरा, असम आरटीआई फोरम
12. इंद्राणी दत्ता, ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एण्ड डेवलपमेन्ट
13. इंद्राणी शर्मा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी
14. जामू डेबार्मा, इंडिजेनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्विप्रा
15. जनक मुशाहारी, एनईआरएसडब्ल्यूएम, कोकराझार
16. कनिका, सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटी, नई दिल्ली
17. केतकी बोरडोलोई, फाउंडेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, गुवाहाटी
18. किंगजम थैनिलसाना, ह्यूमन राइट्स अलर्ट, मणिपुर
19. मालविका दास, पूर्वा भारती ट्रस्ट, गुवाहाटी
20. मंजित साइकिया, पूर्वा भारती ट्रस्ट, गुवाहाटी
21. मंजूर अली, सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटी, नई दिल्ली
22. मर्सी रॉन्गपिपि, पीस टीम, दिफू
23. मीनाक्षी चौधरी, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी
24. नानी साइकिया, सातरा, सिपाझार
25. पल्लबी बोरठाकुर, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी

26. पीटर रंगनामेई, मनेडा, मणिपुर
27. पूजा पार्वती, सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटी, नई दिल्ली
28. प्रसेनजीत बिस्वास, बरक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी, शिलांग
29. राजिब खाउंद, स्कॉर्पियन, गुवाहाटी
30. रंजन बरूआ, नॉर्थ ईस्ट यूथ फाउंडेशन, गुवाहाटी
31. साइतो बासुमतारी, पीपल्स राइट्स फोरम, गुवाहाटी
32. सैंडी पट्टी मूरे, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी
33. सारा, पीस टीम, दिफू
34. सास्वती चौधरी, ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एण्ड डेवलपमेन्ट, गुवाहाटी
35. शीतल शर्मा, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी
36. श्रीकला एमजी, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, गुवाहाटी
37. सुनील माउ, अथुपोपो सोशल फाउंडेशन, अरूणाचल प्रदेश
38. विमल खवास, सिक्किम यूनिवर्सिटी, सिक्किम
39. वितसिनो, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, नागालैंड
40. डब्ल्यू.ए. लश्कर, बराक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी, सिल्चर

केन्द्रीय बजट 2012–13 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर भारत सम्मेलन (लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

1. अजय कुमार सिंह, गोरखपुर एनवायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
2. अमिताभ मिश्रा, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
3. अनीस भाई, ग्रामीण युवा एवं बाल विकास परिषद, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
4. अर्चना सिन्हा, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
5. आशिमा चेतन, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6. अतहर हुसैन, सेन्टर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
7. भागवत प्रसाद, अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
8. भारत बिष्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेन्टल रिसर्च एण्ड एज्युकेशन, अलमोड़ा, उत्तराखण्ड
9. देवकांत त्रिपाठी, संकेत डेवलपमेन्ट ग्रुप, भोपाल, मध्य प्रदेश
10. ध्रुव कुमार, पंचशील डेवलपमेन्ट ट्रस्ट, बहराइच, उत्तर प्रदेश
11. फारूख खान, ऑक्सफेम इंडिया, लखनऊ
12. फौज़िया, एएएलआई
13. हरगोविंद सिंह, आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
14. जनार्दन सिंह, साईं ज्योति संस्थान, ललितपुर
15. जावेद रसूल, फ्रीलान्स कंसल्टेन्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
16. जावेद ए. खान, सीबीजीए, नई दिल्ली
17. जेसो जॉनसन, ऑक्सफेम इंडिया, लखनऊ
18. जीतेन्द्र कुमार, लोक जागृति विकास संस्थान, चमोली, उत्तराखण्ड
19. लक्ष्मण सिंह, जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड
20. मनीष कुमार सिंह, उपवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
21. मनोज कुमार, कृति शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश
22. मनोरमा देई, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
23. एम.पी. सिंह, पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, उत्तर प्रदेश
24. एम. मुजम्मिल, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
25. नदीम अरशद, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी एण्ड एडवोकेसी, उत्तर प्रदेश
26. नीरज उप्रेती, कंसल्टेन्ट, उत्तर प्रदेश
27. निलाचला आचार्य, सीबीजीए, नई दिल्ली
28. निर्मल दास मनकर, डीएए–एनसीडीएचआर, मध्य प्रदेश
29. निशी मल्होत्रा, ईआरयू, उत्तर प्रदेश
30. प्रभात झा, नालंदा, उत्तर प्रदेश
31. प्रोबीर बोस, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
32. राजेश गुप्ता, दर्शना महिला कल्याण समिति, मध्य प्रदेश
33. राजेश मिश्रा, पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश
34. राम चंद्र प्रकाश, डायनैमिक एक्शन ग्रुप, उत्तर प्रदेश
35. राम दुलार, एनडीएमजे–एनसीडीएचआर, उत्तर प्रदेश
36. रमेश चंद्र त्रिपाठी, परमार्थ समाज सेवी संस्थान, उत्तर प्रदेश
37. रमेश दीक्षित, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
38. रामजी राय, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
39. रत्नेश श्रीवास्तव, आईएजी, उत्तर प्रदेश
40. ऋषि राम, मोतीलाल जन सहयोग समिति, उत्तर प्रदेश
41. एस.के. द्विवेदी, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
42. एस.आर. दारापुरी, पीयूसीएल
43. शक्ति गोल्डर, सीबीजीए, नई दिल्ली
44. संदीप पाण्डे, साधना जेयू
45. संदीप श्रीवास्तव, शोहरतगढ़ एनवायरनमेन्टल सोसायटी, उत्तर प्रदेश
46. संजय कुमार, एपीआरएल, उत्तर प्रदेश
47. संजीव श्रीवास्तव, नालंदा, उत्तर प्रदेश
48. शैलेन्द्र प्रताप, डीएएए–एनसीडीएचआर, उत्तर प्रदेश
49. शालिनी वर्मा, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
50. शशि मोहन उप्रेती, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
51. स्मृति गुप्ता, ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
52. सोनाली बिष्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेन्टल रिसर्च एण्ड एज्युकेशन, अलमोड़ा, उत्तराखण्ड
53. सुरेन्द्र सिंह, सिंहवली कल्याण समिति, उत्तराखण्ड
54. उमेश बाबू, एनसीडीएचआर, नई दिल्ली
55. उत्कर्ष सिन्हा, सेन्टर फॉर कंटेम्परी स्टडीज एण्ड रिसर्च, उत्तर प्रदेश
56. विजय कुमार राव, श्रावस्ती ग्राम उद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश
57. योगेश बंधु, सेन्टर फॉर कंटेम्परी स्टडीज एण्ड रिसर्च, उत्तर प्रदेश
58. ज़ैद खान, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी एण्ड एडवोकेसी, उत्तर प्रदेश

केन्द्रीय बजट 2012–13 के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण भारत सम्मेलन (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)

1. ए.आर. अमल दास, एपीएसएसएस (आंध्र प्रदेश सोशल सर्विस सोसायटी) सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश
2. ए.एस. चिन्नोजी राव, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, मदकाशिरा, अनंतपुर
3. ए. श्रीनिवास, साक्षी रिपोर्टर, तरनाका
4. ए. उमादेवी, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, हैदराबाद
5. ए. अंतैया, एपीएसएसएस, सिकंदराबाद
6. बी.डी.ए. सत्य बाबू बोस, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, हैदराबाद
7. बी. नरसिम्हलु, काग्ना ऑर्गेनाइजेशन, पालापल्ली (वी), डोमा (एम), रंगारेड्डी
8. बी. रामानंद, डीबीएसयू
9. बी. सोमाशेखर, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, अनंतपुर
10. बी. श्रीनिवास, यात्रा, राजापेट, नलगोंडा
11. बी. श्रीनिवास, ड्रॉप्स, रायचोटी, कडापा
12. बसवराज कोवताल, एचआरएफडीएल, कमतकोटा, बैंगलोर, कर्नाटक
13. भूमिका, सीबीजीए, दिल्ली
14. सी. आनंदम, डीबीएसयू, महबूबनगर
15. डी.जी.एम. बाबू राव, आरआरडीएस, रु 11ध129 ए, अब्बास नगर, कुरनूल
16. डी. लेस्ली मार्टिन, डीबीएसयू, हैदराबाद
17. डी. रेखा रैन, शांति वेलफेयर एसोसिएशन, कोवुरू, पश्चिम गोदावरी (जिला)
18. डी. वीरभद्र राव, समिदा, विजयनगरम
19. दीप्ति सुकुमार, सदस्य, सजाई कर्मचारी आंदोलन, तमिलनाडु
20. ज्ञान प्रकाश, सेन्टर फॉर वर्ल्ड सोलिडैरिटी, सिकंदराबाद
21. रॉय कुंजप्पा, सीसीएचआर, कोलम, केरल
22. वी. यलैया, एपीएसएसएस, कल्चरल प्रोग्राम ऑफिसर
23. ई. चिन्नारी, सेवेज, मारकापुरम, प्रकाशम
24. ई. पुल्लैया, डीडब्ल्यूसीडीएस, वेमपल्ली, कडापा
25. एफआर. पीटर डैनियल, ऑपरेशनल डायरेक्टर, वीआरओ, प्रकाशम (जिला)
26. जी. धरमिन्द्रा राव, आश्रितम, महबूबनगर
27. जी. लक्ष्मी देवी, डीडीएस, प्रोद्दटूर, कडापा
28. जी. मारिया, डेविड स्ट्रेन्थ, बैंगलोर, कर्नाटक
29. जी. नरसिम्हा, दलित बहुजन श्रमिक यूनियन, हैदराबाद
30. जी. वेंकटसुबैया, स्नेहा यूथ एसोसिएशन, चांगलामारी (वी,एम)
31. जी. योहानन कुट्टी, अखिला केरला बालाजन सख्यम वैक्कूम, कोलम, केरल
32. आइसैक. सीएच, साक्षी एचआर वाच, मोथी नगर, हैदराबाद
33. जे. नीलैया, एएसपी, हैदराबाद
34. जे. रंगा रेड्डी, एमएलए, सीपीआईएम
35. जैकब वर्गीस, एमई मिशन, कोलम, केरल
36. जैस्मिन अहिरवार, वाटर एड– दिल्ली
37. जोगाराम तेजावत, बीएसएस, गारला, खम्मम
38. के. चंद्रा, सीडब्ल्यूए, चित्तूर
39. के.जी. थॉमस, को–ऑर्डिनेटर, स्कूल नेचर क्लब, कोलम, केरल
40. के. जॉन कुमार, सोशल वाच– टीएन, चेन्नई, तमिलनाडु
41. के. लक्ष्मी, सेवा, चीडिकाडा, विशाखापट्टनम
42. के. नागाकुमारी, एसएनसीएमएस, काकिनाडा
43. के. ओबुलापाथी, सीआरएफ, अनंतपुर
44. के. राजालिंगम, आईआरडीएस, इरिकोडे, मेदाक
45. के. श्रीनिवास, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, विशाखापट्टनम
46. के. श्रीनिवास, नमस्ते तेलंगाना
47. के. सुभाष, ग्रास, नमपुरम (वीओ, मारिगुडा (एम), नलगोंडा (जिला)
48. के. सुंदारॉय, एएसपी
49. के. तिरूपति, डीबीएसयू, अम्मागल, महबूबनगर
50. के. वेंकटेश्वरलु, चत्री
51. के. विजय भास्कर राव, सेवेज, मारकापुर, प्रकाशम (जिला)
52. ख्वाजा मोबिन, सीबीजीए, नई दिल्ली
53. एम. नरसिम्हा, आईआरडीएस, मेदक
54. एम.आर. बेरी, दलित बहुजन मूवमेन्ट, बैंगलोर, कर्नाटक
55. एम. शोभारानी, एनडीएफ, तरनाका, सिकंदराबाद
56. एम. श्रीनिवासलु, प्रजा प्रगति ट्रस्ट, तिरूपति
57. एम. श्रीनिवासलु, रीड्स, कडापा
58. एम. सुधाकर डेविड, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, हैदराबाद
59. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश बजट सेंटर, हैदराबाद
60. मोहम्मद घोस, चैतन्य युवाजन संगम, कुरनूल
61. मोहम्मद शरीफ, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर/सीआरएसडी, मदकाशिरा, अनंतपुर
62. एन. पॉल दिवाकर, एनसीडीएचआर, दिल्ली
63. एन. सकुंतला, मसस्वी काउंसलिंग सेन्टर, पश्चिम गोदावरी
64. नंदु, ईटीवी रिपोर्टर
65. पी. देवदनाम, डीएफ, तारनाका, सिकंदराबाद
66. पी. जोसेफ राजू, चित्तूर
67. पी. लॉन्डी राजू, एपीएसएसएस, स्पेशल को–ऑर्डिनेटर
68. पी.आर. कृष्णामूर्ति सोशल वाच– तमिलनाडु
69. पी. श्रीनिवासलु, आंध्र प्रदेश बजट सेंटर, अनंतपुर
70. पी. सुधाकर, एपीएसएसएस, को–ऑर्डिनेटर, हैदराबाद
71. पी. श्यामला देवी, लाइट, हैदराबाद
72. पी. उपेन्द्र, नव दीपिका, सूर्यपेटा, नलगोंडा
73. पी. वेंकटेश, आंध्र प्रभा
74. पी. वेंकटेशवरलु, पीएसडब्ल्यूओ, कुरनूल
75. पी. विश्वनाथ, आंध्र प्रदेश बजट सेन्टर, हैदराबाद
76. पुष्पनाधम, लाइफ ट्रीज
77. आर. दामोदर रेड्डी, न्यूज रिपोर्टर
78. आर. नागाराजू, यात्रा, यदागिरिगट्टा, नलगोंडा
79. आर. पॉल सुबन्ना, फोट्सो, कथेरू
80. आर. रवि कुमार, एनडीएफ, तारनाका, सिकंदराबाद
81. आर. सत्यनारायण, लाइफ ट्रीज, श्रीकाकुलम
82. एस. पेंचलैया, संघमित्रा, कडापा
83. एस. शिवलिंगम, यात्रा, नलगोंडा
84. एस. श्रीनिवास, यात्रा, यदागिरिगट्टा
85. एस. वेंकट सूरी, डब्ल्यूडीएससीडब्ल्यू, हैदराबाद
86. साजी जॉन, वायएमसीए प्रेसिडेन्ट, थलचिरा, केरल
87. शानमुगा प्रिया. आर, सोशल वाच– टीएन, चेन्नई
88. शुभाशंशा बक्शी, सीबीपीएस, बैंगलोर
89. सोमा शेखर नाइक, एचआरएफडीएलके, बैंगलोर, कर्नाटक

90. सर मर्सी माथुम, चत्री
91. श्री काकि. माधवा राव, रिटायर्ड आईएएस, भूतपूर्व मुख्य सचिव– जीओएपी
92. सुब्रत दास, सीबीजीए, नई दिल्ली
93. सुधामणि एन. रिसर्च कंसल्टेन्ट, आईएसएसटी, मणिपाल सेन्टर, बैंगलोर
94. टी. मधुसुदन, केयूआरडी, मचिलिपट्टनम, कृष्णा (जिला)
95. यू. सुब्रमण्यम, डायरेक्टर– इंडियन इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स, हैदराबाद
96. यू. उमादेवी, लाइफ ट्रीज
97. वी. सतीशराज, हैदराबाद मिरर
98. वी. बेबी कुमारी, स्पंदना वूमन डेवलपमेन्ट सोसायटी, राजामुंद्री
99. वी.एस. अब्राहम, कालवेरी मिनिस्ट्री, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कुरनूल
100. वी. श्रीनिवासलु, न्यूज रिपोर्टर
101. वेंकटेश. एम. दलित बहुजन मूवमेन्ट, बैंगलोर, कर्नाटक

केन्द्रीय बजट 2012–13 के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम भारत सम्मेलन (पुणे, महाराष्ट्र)

1. अभिजीत मंगल, एमजीएस निधि, पुणे, महाराष्ट्र
2. अनिल, सीआईटीयू, पुणे, महाराष्ट्र
3. अश्विन
4. बालकिशन, गोकुल नगम
5. बसवंत धीमाने, सीईई सेन्ट्रल; पुणे, महाराष्ट्र
6. भूपेन्द्र कौशिक, बीएआरसी; जयपुर
7. दिनेश सी. वागडे, ब्रदरहूड
8. ज्ञान, सीबीजीए; दिल्ली
9. जावेद ए. खान, सीबीजीए; दिल्ली
10. जीतेन्द्र मैद, गरीब डोंगवी संगठन
11. जॉन पी. अब्राहिम
12. कणिका कौल, सीबीजीए; दिल्ली
13. कुआन मोगले, जनवाडी महिला संगठन; मुंबई, महाराष्ट्र
14. लाल सिंह, पारगी पथेया; अहमदाबाद, गुजरात
15. लता. पीएम. एनसीएएस
16. लक्ष्मण लांढे
17. महादेव रिगर, अंतरा संस्था; पुणे, महाराष्ट्र
18. महेन्द्र सिंह, बीएआरसी, जयपुर
19. मैथ्यू कैपलान, एनसीएएस
20. नागेश जाधव, अवैकनिंग जागृति
21. नटवरभाई वेगदा, पथेया; अहमदाबाद, गुजरात
22. पारगी, सेवा सगम
23. पूजा पार्वती, सीबीजीए; दिल्ली
24. प्रताप सिंह, बीहेवियर साइंस सेन्टर, सेंट झेवियर्स कॉलेज; अहमदाबाद, गुजरात
25. प्रिया खान, स्पार्क
26. राजेश पौत्राओ, अवैकनिंग जागृति
27. रमेश पाधये; गोरेगांव, मुंबई
28. रवि दुग्गल, आईबीपी
29. सतीश अवाते, सीईई सेन्ट्रल; पुणे, महाराष्ट्र
30. शंकर डी. राडिया, आदिवासी जंगल जनजीवन आंदोलन; दादर और नगर हवेली
31. शीतल लांबले
32. सोनल सेठ, सीईएचएटी; मुंबई, महाराष्ट्र
33. सुबिर दाभि, ध्रुवपथ
34. वसुधा देशपाण्डे, शिव कृपा; पुणे, महाराष्ट्र
35. विजय गोयल, आरआईएचआर; जयपुर
36. विजय माने, इंटरवेदा ; पुणे, महाराष्ट्र
37. विपुल दाभि, आदिवासी जंगल जनजीवन आंदोलन; दादर और नगर हवेली

पीपल्स बजट इनिशियेटिव की आयोजन समिति

एक्शनएड इंडिया
बजट एनालाइसिस राजस्थान सेन्टर
सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउंटेबिलिटी
सेन्टर फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सोशल एक्शन
सेन्टर फॉर एन्क्वायरी इंटू हेल्थ एण्ड एलाइड थीम्स
सेन्टर फॉर रूरल स्टडीज एण्ड डेवलपमेन्ट
चरखा डेवलपमेन्ट कम्यूनिकेशन नेटवर्क
क्रिश्चियन एड इंडिया
सेन्टर फॉर लेगिस्लेटिव रिसर्च एण्ड एडवोकेसी
सेन्टर फॉर यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट
लाइफ एज्युकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सपोर्ट
ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज
ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क
इंडियन सोशल स्टडीज ट्रस्ट
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस
नेशनल सोशल वाच कोलिशन
नेशनल सेन्टर फॉर एडवोकेसी स्टडीज
नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स
निरंतर
नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क
ओपेन लर्निंग सिस्टम्स
ऑक्सफेम इंडिया
वन वर्ल्ड साउथ एशिया
पथेया
प्रोग्राम ऑन वूमन्स इकोनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स
सोशल वाच– तमिलनाडु
समर्थन
संकेत
यूनिफेम
वाटरएड इंडिया
वादा न तोड़ो अभियान
वर्ल्ड विजन इंडिया

पीपल्स बजट इनिशियेटिव

सचिवालयः

CBGA

सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेन्स अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए)
बी–7 एक्सटेंशन/ 110 ए (पहली मंज़िल),
हंसमुख मार्ग, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली– 110029
दूरभाषः 011–49200400/ 401/ 402
ई–मेलः **info@cbgaindia.org**
www.cbgaindia.org